न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें :–

पहली अपील

अपील संख्या :– 25/13 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. ताराचन्द पुत्र झम्मन जाति चमार निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:–– अपीलांट

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहरोड जिला अलवर ।

:–– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर अलवर

दिनांक 3.6.2013

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री परमानन्द मेहरा

2. राजकीय अभिभाषक

दूसरी अपील:–

अपील संख्या :– 26/13 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उनवान :— 1. जगदीश पुत्र नत्थू जाति चमार निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:—— अपीलांट

बनाम

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बहरोड जिला अलवर ।

:—— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर, अलवर

दिनांक 3.6.2013

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री परमानन्द मेहरा

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 9.3.2017

---

1. उपरोक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विवादित आराजी एक समान है तथा एक ही अपीलाधीन आदेश के खिलाफ पेश की गई है । अतः इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वन संरक्षक, अलवर ने आदेश दिनांक 6.6.2012 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2449 वन खंड मुण्डावर में से 45 गुणा 30 वर्ग फुट भूमि पर पक्का निर्माण कर एक कमरा बनाते हुये अतिक्रमण किये जाने पर अपीलांट ताराचंद एवं 25 गुणा 20 वर्ग फुट भूमि पर पक्का निर्माण कर एक कमरा बनाते हुये अतिक्रमी किये जाने पर अपीलांट जगदीश को अतिक्रमी मानकर बेदखली, पैनेल्टी वसूली से दण्डित किया था । इस आदेश के खिलाफ अपीलांटस ने विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर के यहां प्रथम अपील पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

की, जो निर्णय दिनांक 3.6.2013 द्वारा खारिज की गई है । विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांटस ने मौजूदा ये दोनों अपीलें पेश की हैं ।

3. दोनों अपीलों में विद्वान वकील अपीलांटस का कथन है कि सहायक वन संरक्षक, अलवर द्वारा अपीलांटस धारा 91 एल0 आर0 एक्ट का नोटिस जारी किया गया था । इस पर अपीलांटस ने उपस्थित होकर साक्ष्य हेतु समय मांगा, परन्तु समय नहीं दिया गया और एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई । विवादित आराजी खसरा नम्बर 2449 वाके ग्राम मुण्डावर ग्राम पंचायत के आधिपत्य व अधिकार की भूमि थी, जिसमें से अपीलांटस को आबादी भूमि का पटटा अपीलांटस को जारी किया गया है । विवादित प्लॉट वन भूमि में न होकर आबादी में है । मौके की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है । अपीलांटस के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही गलत की गई है, जिस ओर विद्वान जिला कलेक्टर अलवर ने भी गौर नहीं किया और गलत तौर पर अपील खारिज कर दी । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित विवादित भूमि वन विभाग की है । नोटिफिकेशन के द्वारा इसके संरक्षित वन घोषित किया हुआ है । अपीलांटस अतिक्रमी है । इनके खिलाफ सही तौर पर धारा 91 की कार्यवाही की गई है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 का भी अध्ययन किया । विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 में 19.1.2012 के निर्णय का उल्लेख किया गया है तथा किसी उच्च न्यायालय का न होने के कारण उस पर विचारण का औचित्य नहीं, का उल्लेख किया है । सहायक वन संरक्षक द्वारा इसी खसरा नम्बर किया गया यह निर्णय इसलिये विचारणीय है कि इसमें खसरा नम्बर 2449 कुल क्षेत्र 20.4900 से जुडे कई तथ्य, जो पत्रावली पर मौजूद थे, को निर्णय का आधार बनाते हुये प्रतिवादी को अतिक्रमी नहीं मानने का निर्णय पारित किया गया है । एक अन्य बिन्दू माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट पिटिशन संख्या 202/1995 को भी उल्लेखित किया गया है तथा 25.10.80 से आवंटित भूमि से संबंधित बिन्दू को भी निर्णय का आधार माना है । विवादित खसरा नम्बर से जुडे दोनों प्रकरण ताराचन्द बनाम सरकार एवं जगदीश बनाम सरकार में उक्त तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाकर अपीलांटस को अतिक्रमी माना गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

यह तथ्य अभिलेख पर है कि विवादित खसरा नम्बर 2449 आज भी गैर मुमकिन पहाड है, जिस पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं, किन्तु [redacted] यह किसी वन अधिकारी को विवेकाधिकार प्रयोग का आधार नहीं हो सकता कि एक ही खसरा नम्बर से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में अलग अलग तथ्यों एवं विधि को निर्णय का आधार बनाया जावे । अपील अधिकारी को तीनों प्रकरणों में समान तथ्य होने पर भी पृथक पृथक निष्कर्ष के कारणों का विशद विश्लेषण किया जाना आवश्यक है । उक्तानुसार निर्णय दिनांक 3.6.2013 को पुनः सघन जांच एवं तत्सम्बन्धी राजस्व रिकार्ड एवं कार्यालय सहायक वन सरंक्षक के समुचित पक्ष प्रकटन एवं साक्ष्य के लिये रिमांड किया जाना उचित है । लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि हर दोनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हर दोनों प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य तथा इस निर्णय के पैरा नम्बर 05 में किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2013 को पुनः विशद विश्लेषण हेतु विद्वान जिला कलेक्टर, अलवर को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति हर दोनों अपीलों में संलग्न की जावे । तहत पत्रावलियां लौटाई जावे ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner